

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या-950/2015/अलवर

कोयल शिक्षा.शोध संस्थान जरिगे
सचिव, प्रभुसिंह गुर्जर पुत्र श्री भगवान सहाय गुर्जर
ग्राम खुरीकलां तहसील व जिला दौसा

.....प्रार्थी.

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये उपपंजीयक राजगढ़
2. हीरालाल पुत्रद भूराराम
3. छोटेलाल पुत्र भूराराम
निवासीगण गोलकावास, तहसील व जिला दौसा

.....अप्रार्थी.

एकलपीठ

राजीव चौधरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री सुनील पारीक
अभिभाषक।

.....प्रार्थी की ओर से.

श्री आर.के. अजमेरा

उप-राजकीय अभिभाषक।

.....अप्रार्थी सं. 1 की ओर से.

(अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से कोई उपस्थित नहीं)

दिनांक : 15.05.2018

निर्णय

1. उक्त निगरानी प्रार्थी द्वारा कलक्टर (मुद्रांक), अलवर (जिसे आगे "अधीनस्थ न्यायालय" कहा जायेगा) के प्रकरण संख्या 429/2013 में पारित निर्णय दिनांक 25.05.2015, 02.06.2014 के विरुद्ध राजस्थान मुद्रांक अधिनियम 1998 (जिसे आगे 'मुद्रांक अधिनियम' कहा गया है) की धारा 65 के तहत प्रस्तुत की गई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के पक्ष में ग्राम गोला का दास तहसील राजगढ़ में स्थित आराजी खसरा नम्बर 1845 क्षेत्रफल 1.30 हैक्टर भूमि में से अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के खातेदार से कृषि भूमि रकबा 0.80 हैक्टर कुल कीमत 4,00,000/- रुपये विक्रय पत्र दिनांक 07.03.2010 को निष्पादित कर दस्तावेज उप पंजीयक के समक्ष पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी द्वारा व्यवसायिक दर से मुद्रांक शुल्क जमा नहीं कराने पर उप पंजीयक द्वारा प्रक्रम रेफरेंस कलक्टर (मुद्रांक), अलवर को प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय कलक्टर (मुद्रांक), अलवर के उक्त आदेश दिनांक 02.6.2014 से व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है।
3. प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा कथन किया गया कि प्रार्थी द्वारा क्रय की गई सम्पत्ति पंजीयन के समय पूर्णरूप से खाली थी, जिस पर कृषि कार्य हो रहा था। आस-पास किसी प्रकार की वाणिज्यिक/आवासीय गतिविधियां नहीं थी। इस प्रकार महालेखाकार जांच दल द्वारा क्रेता शैक्षणिक संस्थान होने से केवल काल्पनिक

लगातार.....2.

Amal Kumar
15/05/18

संभावनाओं के आधार पर प्रश्नगत सम्पत्ति को वाणिज्यिक उपयोग की मानते हुए प्रश्नगत विक्रय-दस्तावेज कमी मालियत पर पंजीबद्ध होने का आक्षेप किये जाने एवं उक्त अविधिक आक्षेप की पालना में उप पंजीयक द्वारा कमी मालियत का रेफरेन्स प्रेषित किये जाने में विधिक त्रुटि की गई है। विद्वान अभिभाषक ने यह भी कथन किया कि प्रश्नगत दस्तावेज दिनांक 07.10.2013 का है जबकि महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग का परिपत्र संख्या 01/2010 दिनांक 13.01.2010 प्रश्नगत दस्तावेज पंजीयन के पश्चात् जारी किया गया है, जिसे भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त परिपत्र के आधार पर प्रार्थी की सम्पत्ति को वाणिज्यिक अवधारित करते हुए तदनुसार मालियत निर्धारण किये जाने में कलक्टर (मुद्रांक) द्वारा निगरानी अधीन आदेश पारित किये जाने से पूर्व न तो प्रश्नगत सम्पत्ति का स्वयं द्वारा मौका निरीक्षण किया गया है। इस प्रकार कलक्टर (मुद्रांक) द्वारा राजस्थान मुद्रांक नियम 2004 के नियम 65 के प्रावधानों की पालना किये बगैर निगरानी अधीन आदेश पारित किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है।

4. प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा आगे कथन किया गया है कि परिपत्र संख्या 2/2004 में यह निर्देश दिये गये हैं कि हस्तान्तरित भूमि का क्षेत्रफल 1000 वर्गगज से अधिक है और उसे कृषि प्रयोजनार्थ माना जावे। यदि मौके पर आबादी उपयोग होना पाया तो कृषि भूमि की तीन गुणा दर से मूल्यांकन किया जावे। किन्तु अधिसूचना दिनांक 09.03.2015 के बिन्दु संख्या 6 में यह अंकित किया गया है कि "कम्पनियों, फर्मों या संस्थाओं द्वारा क्रय की गयी कृषि भूमि की दरें उस क्षेत्र की कृषि भूमि की दरों के समतुल्य होंगी।" माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत D.B. Civil Petition No. 1490/2014 आदेश दिनांक 09.02.2017 में भी यही सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। अधिसूचना दिनांक 09.03.2015 को पूर्व में जारी की गयी समस्त अधिसूचनाओं को अधिष्ठित करते हुए पारित किया गया है। उक्त अधिसूचना दिनांक 09.03.2015 का अंत में दिया गया स्पष्टीकरण अधिसूचना में उल्लेखित समस्त बिन्दुओं पर लागू होगा इस संबंध में माननीय राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा निगरानी सं. 1121/2015 मै. एस.जी.जी. रियेलटर्स बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 09.12.2016 में भी बिन्दु सं. 6 के संबंध में इस अधिसूचना के स्पष्टीकरण का प्रावधान लागू होना माना है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल रिट पीटीशन सं. 1490/2014 सम्यक् ज्ञान पीठ, एम.आर. महाविद्यालय फतेह नगर बनाम राजस्थान राज्य 2263/2015 आदि में पारित निर्णय दिनांक 09.02.2017 में भी अधिसूचना दिनांक 09.03.2015 को ऐसे मामलों में लागू होना माना है। राजस्व रिकॉर्ड में प्रश्नगत आराजी बतौर कृषि भूमि दर्ज है तथा उक्त भूमि का उपयोग कृषि के लिये

Am. Singh
15/05/18

लगातार.....3.

ही हो रहा है। तब उसकी मालियत कृषि से किया जाना विधि सम्मत है।

5. प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक का यह भी कथन रहा है कि शिक्षण संस्था में शिक्षण कार्य का संचालन करना व्यवसाय करने की श्रेणी में नहीं आता है। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपने कथनों के समर्थन में राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये, जो निम्न प्रकार है:-

(i) निगरानी संख्या 2314/2012/अलवर श्री समय सिंह चौहान अध्यक्ष जरिए शारदा रुरल शिक्षा विकास समिति, नंगली बलाई तहसील बहरोड़ जिला अलवर बनाम राजस्थान सरकार जरिये कलक्टर (मुद्रांक), अलवर व अन्य के निर्णय दिनांक 24.08.2015

(ii) निगरानी संख्या 1213/2011/चुरु राजस्थान सरकार जरिये उप पंजीयक राजगढ़ चुरु बनाम मैसर्स सी.आर. मेमोरियल शिक्षण संस्थान जरिये सचिव श्री मानसिंह जांगीड़ पुत्र श्री चिमनाराम निवासी वार्ड नं. 4 राजगढ़ व अन्य के निर्णय दिनांक 21.05.2012

इस प्रकार प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 02.06.2014 को अपास्त कर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है।

6. अप्रार्थी राजस्व के उपराजकीय अभिभाषक द्वारा कलक्टर (मुद्रांक) के निगरानी अधीन आदेश का समर्थन करते हुए यह कथन किया गया है कि राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.12(25)वित्त/कर/11-156 दिनांक 09.03.2011 के अनुसार संस्थागत प्रयोजनों के लिये भूमि की दरें आवासीय भूमि की दरों से डेढ़ गुना से कम नहीं होगी। प्रार्थी आवासीय का डेढ़ गुना जमा करवाने को तैयार है किन्तु प्रार्थी सड़क/आबादी के पास की दर 300 रुपये प्रति वर्गगज के स्थान पर सड़क से दूर 150 रुपये प्रतिवर्गगज के हिसाब से डेढ़ गुना राशि जमा करवाने को तैयार है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत भूमि की मौके की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्नगत सम्पत्ति की मालियत 300 रुपये प्रतिवर्ग गज का डेढ़ गुना से निर्धारित करने में किसी प्रकार की विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित नहीं की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने प्रार्थी की निगरानी अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।
7. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं रेकॉर्ड का अवलोकन किया। वर्तमान प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या शिक्षण संस्थान द्वारा क्रय की गयी कृषि भूमि का मूल्यांकन किस दर से किया जायेगा?
8. इस संबंध में महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग राजस्थान अजमेर के परिपत्र संख्या एफ.7(521) जन/2002/20055 दिनांक 19.12.2002 में दिये गये निर्देशों का अध्ययन किया जाना उचित होगा जिसमें किसी कम्पनी, ट्रस्ट व भागीदारी फर्म द्वारा

Amirul
15/05/18

लगातार.....4.

सम्पत्ति क्रय किये जाने से सम्पत्ति की प्रकृति नहीं बदली जा सकती, बल्कि सम्पत्ति जिस अवस्था में है उसी अनुसार उस पर मुद्रांक/पंजीयन शुल्क की देयता मानी जावेगी के निर्देश दिये गये हैं। यह परिपत्र इस प्रकार है कि :-

पारेणत्र संख्या 21/2002

राजस्थान सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग
राज, "कर भवन" अजमेर

क्रमांक एफ.7(521) जन/2002/20055

दिनांक 19.12.2002

परिपत्र

विषय: संस्था/कम्पनी व अन्य विशेष प्रयोजनार्थ भूमि/सम्पत्ति क्रय करने के मामलों में मार्केट वैल्यू निर्धारण के संबंध में।

प्रसंग : विभाग द्वारा जारी परिपत्र संख्या 2 दिनांक 01.10.1999

विभाग द्वारा भूमि की प्रचलित मार्केट वैल्यू निर्धारण हेतु जारी परिपत्र संख्या 2 दिनांक 01.10.1999 में संस्था/कम्पनी व अन्य विशेष प्रयोजनार्थ क्रय के मामलों में मूल्यांकन बाबत स्पष्ट निर्देश नहीं होने के कारण सामान्य नीति निर्धारित करने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया था ताकि सभी स्थानों पर मूल्यांकन की प्रक्रिया में एक रूपता लाई जा सकें। राज्य सरकार ने अपने पत्र क्रमांक पं. 2(8) वित्त/कर/90 दिनांक 04.12.2002 के द्वारा इस बाबत निम्नानुसार स्थिति स्पष्ट की है:-

1. उक्त परिपत्र के बिन्दु संख्या 5 व 6 में क्रमशः व्यवसायिक व औद्योगिक भूमि के मूल्यांकन के संबंध में दस्तावेज निष्पादन के समय भूमि के उपयोग स्थानीय निकाय द्वारा भू उपयोग का अनुमोदन, भूमि रूपान्तरण आदि जो मापदण्ड निर्धारित हैं वे ही मापदण्ड कम्पनी, ट्रस्ट व भागीदारी फर्म द्वारा भूमि क्रय करने के मामलों में भी लागू होंगे।
2. भूमि के संभावित उपयोग व भविष्य में होने वाले उपयोग का कोई संबंध उक्त निर्देशों में नहीं है। नियमों में भी कृषि, आवासीय एवं व्यवसायिक श्रेणियों को ही मान्यता दी हुई है। इसलिये अलग श्रेणी निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है। उक्त परिपत्र के दिशा निर्देशों को ही मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ प्रयोग किया जावे तथा दस्तावेज निष्पादन के समय हस्तान्तरित की जा रही भूमि के उपयोग, स्थानीय निकाय की योजना स्थिति, रूपान्तरण/भू उपयोग परिवर्तन के आधार पर मूल्यांकन किया जावे। अतः राज्य सरकार से प्राप्त उक्त निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करें।

राज्य सरकार के पत्र दिनांक 04.12.2002 में यह स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं कि दस्तावेज निष्पादन के समय हस्तान्तरित की जा रही भूमि के उपयोग स्थानीय निकाय की योजना में स्थित, रूपान्तरित/भू उपयोग परिवर्तन के आधार पर मूल्यांकन किया जावे।

9. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत भूमि को शैक्षणिक संस्थान द्वारा क्रय किये जाने से आवासीय भूमि की दरों से डेढ़ गुना के आधार पर मूल्यांकन कर उस पर मुद्रांक कर

Amirul
15/05/18

लगातार.....

वसूलने का जो आधार दिया है वह अधिसूचना क्रमांक प.12(25)वित्त/कर/11-156 दिनांक 09.03.2011 है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के अपील (सिविल) 5273/2007, राज्य सरकार व अन्य बनाम मैसर्स खण्डाका जैन ज्वैलर्स में पारित निर्णय (2007) 19 टैक्स अपडेट 355 एवं हरियाणा राज्य व अन्य बनाम मनोज कुमार के न्यायिक दृष्टान्त 2010(2) RRT 731 में प्रतिपादित सिद्धान्त तथा मुद्रांक अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी विक्रय दस्तावेज के पंजीबद्ध करवाने पर उसकी पंजीयन तिथि को प्रकृति एवं प्रचलित बाजार मूल्य पर प्रचलित दर से मुद्रांक शुल्क की देयता निर्धारित की जाती है। राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.2(8)वित्त/कर/90 दिनांक 04.12.2002 एवं महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग राजस्थान, अजमेर के परिपत्र संख्या 2/2004 के बिन्दु सं. 9 के अनुसार भी दस्तावेज निष्पादन के समय हस्तान्तरित की जा रही भूमि के उपयोग, स्थानीय निकाय की योजना में स्थिति, रूपान्तरण, भू-उपयोग परिवर्तन के आधार पर भूमि का मूल्यांकन किया जावेगा तथा सम्भावित उपयोग व भविष्य में होने वाले उपयोग के अनुसार मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।

10. राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.2(8)वित्त/कर/90 दिनांक 04.12.2002 एवं महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग राजस्थान, अजमेर के परिपत्र संख्या 2/2004 के बिन्दु सं. 9 के अनुसार भी दस्तावेज निष्पादन के समय हस्तान्तरित की जा रही भूमि के उपयोग, स्थानीय निकाय की योजना में स्थिति, रूपान्तरण, भू-उपयोग परिवर्तन के आधार पर भूमि का मूल्यांकन किया जावेगा तथा सम्भावित उपयोग व भविष्य में होने वाले उपयोग के अनुसार मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
11. माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 1993(1) सुप्रीम कोर्ट केसेज पेज 645 उन्नीकृष्णन जे.पी. एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ आन्ध्र प्रदेश व अन्य में पेज संख्या 659 में भारतीय संविधान के आर्टिकल 19(1)(जी) एवं (6) की व्याख्या करते हुये अभिनिर्धारित किया है कि शिक्षण संस्था चलाना कोई व्यापार या व्यवसाय नहीं है। अतः इस शिक्षण संस्था का संचालन करना वाणिज्यिक श्रेणी में नहीं माना जा सकता। राजस्थान कर बोर्ड के न्यायिक दृष्टान्त खण्डपीठ निगरानी संख्या-2314/2012/अलवर निर्णय दिनांक 24.08.2015 एवं एकलपीठ निगरानी संख्या-1213/2011/चुरु निर्णय दिनांक 21.05.2012 में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त के आलोक में यह अभिनिर्धारित किया गया कि शिक्षण संस्थान का संचालन वाणिज्यिक गतिविधियों की श्रेणी में नहीं आता है।
12. यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि क्रय की जा रही सम्पत्ति के सम्भावित उपयोग के आधार पर, दस्तावेज पंजीयन की तिथि को मूल्यांकन कर मुद्रांक कर नहीं वसूला जा सकता, न ही क्रेता की विधिक स्थिति यथा कम्पनी, फर्म अथवा शैक्षणिक संस्था के आधार पर सम्भावित उपयोग का निर्णय पंजीयन तिथि को किया जा सकता।

Amir Hussain
15/05/18

लगातार.....6.

पंजीयन तिथि को सम्पत्ति का क्या उपयोग हो रहा है एवं राजस्व रेकॉर्ड में भूमि की किस्म क्या है, यही देखा जाना पर्याप्त है। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 09.03.2015 का अवलोकन किया जाना समीचीन होगा। अधिसूचना दिनांक 09.03.2015 के बिन्दु संख्या 6 में यह अंकित किया गया है कि "कम्पनियों, फर्मों या संस्थाओं द्वारा क्रय की गयी कृषि भूमि की दरें उस क्षेत्र की कृषि भूमि की दरों के समतुल्य होंगी।" माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत D.B. Civil Petition No. 1490/2014 आदेश दिनांक 09.02.2017 में भी यही सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। राजस्थान कर बोर्ड के न्यायिक दृष्टांत खण्डपीठ द्वारा निगरानी संख्या 1121/2015/बीकानेर निर्णय दिनांक 09.12.2016 के अधिसूचना दिनांक 09.03.2015 के बिन्दु संख्या 6 के अनुसार किसी कम्पनी, फर्म व संस्थान द्वारा क्रय की गयी कृषि भूमि की दर उस क्षेत्र की कृषि भूमि की दरों के समान ही लागू किये जाना अभिनिर्धारित किया गया। अधिसूचना दिनांक 09.03.2015 को पूर्व में जारी की गयी समस्त अधिसूचनाओं को अधिष्ठित करते हुए पारित किया गया है। उक्त प्रकरण इस बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा निगरानी संख्या 1121/2015/बीकानेर निर्णय दिनांक 09.12.2016 द्वारा पूर्णतया आच्छादित है।

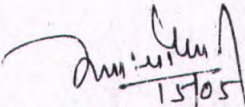
13. प्रार्थी द्वारा यह कथन किया गया है कि वह प्रश्नगत भूमि का 150 रुपये प्रतिवर्गगज के हिसाब से डेढ़ गुना राशि जमा करवाने को तैयार है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि वर्तमान प्रकरण में रेफरेन्स का आधार राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.12(25)वित्त/कर/11-156 दिनांक 09.03.2011 है। जिसके अनुसार संस्थागत प्रयोजनों के लिये भूमि की दरें आवासीय भूमि की दरों से डेढ़ गुना से कम नहीं होंगी। इस संबंध में यहां यह उल्लेख किया जाना समीचीन होगा कि प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 27.02.2015 को जवाब पेश किये जाने के पश्चात् अधिसूचना दिनांक 09.03.2015 जारी होने से विधिक स्थिति परिवर्तित हो गयी। जैसाकि ऊपर विवेचन किया जा चुका है कि अधिसूचना दिनांक 09.03.2015 के बिन्दु संख्या 6 में यह अंकित किया गया है कि "कम्पनियों, फर्मों या संस्थाओं द्वारा क्रय की गयी कृषि भूमि की दरें उस क्षेत्र की कृषि भूमि की दरों के समतुल्य होंगी।" अधिसूचना दिनांक 09.03.2015 को पूर्व में जारी की गयी समस्त अधिसूचनाओं को अधिष्ठित करते हुए पारित किया गया है। उक्त अधिसूचना दिनांक 09.03.2015 का अंत में दिया गया स्पष्टीकरण कि "उपर्युक्त दरें कलक्टर (मुद्रांक), या किसी अन्य न्यायालय के समक्ष लम्बित मामलों में भी लागू होंगी।" अधिसूचना में उल्लेखित समस्त बिन्दुओं पर लागू होगा इस संबंध में माननीय राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा निगरानी सं. 1121/2015 मै. एस.जी.जी. रियलटर्स बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 09.12.2016 में भी

Amir Khan
15/05/18

लगातार.....7.

बिन्दु सं. 6 के संबंध में इस अधिसूचना के स्पष्टीकरण का प्रावधान लागू होना माना है तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल रिट पीटीशन सं. 1490/2014 सम्यक् ज्ञान पीठ, एम.आर. महाविद्यालय फतेह नगर बनाम राजस्थान राज्य, 2263/2015 आदि में पारित निर्णय दिनांक 09.02.2017 में भी अधिसूचना दिनांक 09.03.2015 को ऐसे मामलों में लागू होना माना है। राजस्व रिकॉर्ड में प्रश्नगत आराजी बतौर कृषि भूमि दर्ज है तथा उक्त भूमि का उपयोग कृषि के लिये ही हो रहा है। अधिसूचना दिनांक 09.03.2015 लम्बित प्रकरणों में भी लागू होने से प्रश्नगत भूमि की मालियत कृषि से किया जाना विधि सम्मत है न कि अधिसूचना दिनांक 09.03.2011 के आधार पर आवासीय के डेढ़ गुना से।

14. वर्तमान प्रकरण में यह भलीभांती साबित है कि दस्तावेज निष्पादन के समय प्रश्नगत भूमि कृषि प्रयोजन की थी तथा प्रश्नगत भूमि शिक्षण संस्थान द्वारा क्रय की गई है जिसके संबंध में यह सुस्थापित है कि शिक्षण संस्थान का संचालन वाणिज्यिक गतिविधि नहीं है। अतः प्रश्नगत सम्पत्ति का मूल्यांकन आवासीय दर के डेढ़ गुना से किया जाना न्यायसंगत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.05.2015 व 02.06.2014 के आदेश पारित करने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित की है। इस प्रकार प्रार्थी केता द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य है एवं अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 25.05.2015 एवं 02.06.2014 आपस्त किये जाने योग्य है।
15. परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय कलक्टर (मुद्रांक), अलवर का निर्णय दिनांक 25.05.2015 एवं 02.06.2014 अपास्त किया जाता है तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है। प्रार्थी द्वारा निगरानी प्रस्तुत करने हेतु जमा करायी गयी राशि नियमानुसार लौटायी जाये।
16. निर्णय सुनाया गया।


 15/05/18
 (राजीव चौधरी)
 सदस्य